<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण कः — 218 / 14</u> संस्थापन दिनांकः—04 / 04 / 14 फाईलिंगु नं. 233504001922014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

गोविंदा पिता नत्थया ढीमर, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (निर्णय) :--</u>

(आज दिनांक 18.05.2018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 24.03.2014 को समय 10:00 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार आरीनुमा छुरी जिसकी कुल लंबाई 16½, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.03. 2014 को प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टेंड आमला में अभियुक्त हाथ में आरीनुमा छुरी लहराते हुए आने—जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर मय छुरी के पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 241/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.03.2014 को समय 10:00 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार आरीनुमा छुरी जिसकी कुल लंबाई 16½, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 24. 03.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए वारंटी तलाश हेतु कस्बा भ्रमण के दौरान उसे फोन पर सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ बस स्टेंड आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की आरीनुमा छुरी लिये लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे उसने घेराबंदी कर पकड़ा तथा अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की आरीनुमा छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 241/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल—ए 1 को वही लोहे की आरीनुमा छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।
- 6 संतोष (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में वर्ष 2013 में थाना आमला में नगर सैनिक के पद पर पदस्थ रहते हुए प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर के साथ करबा भ्रमण पर जाना जहां अभियुक्त बस स्टेंड के आसपास लोहे की दुरी लिये लोगों को डरा धमका रहा था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त से छुरी रखने के संबंध में पूछताछ की गयी थी और उसे गिरफ्तार कर अभियुक्त से छुरी की जप्ती की गयी थी।
- 7 यादोराव (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया

है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

- 8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.—2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में एक अन्य स्वतंत्र साक्षी संजू के अदम पता हो जाने से उसके कथन न्यायालय में अंकित नहीं किये जा सके हैं। अभिलेख पर गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—1) एवं संतोष (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 9 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने के उपरांत मौके पर जाना, अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ना और गवाहों के समक्ष अभियुक्त से छुरी जप्त की जाना एवं उसके गिरफतार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। संतोष (अ. सा.—3) ने करबा भ्रमण के दौरान बस स्टेंड पर अभियुक्त गोविंदा को लोहे की छुरी लिये लोगों को डराते हुए देखे जाने पर प्रधान आरक्षक गोविंद कोलेकर द्वारा पूछताछ की जाना एवं उसे थाना लेकर आना बताया है।
- गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी यादोराव एवं संजू के साथ मोटर सायिकल से मौके पर पहुंचा था। रहागीर साक्षी घटना स्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मिले थे जिन्हें घटना की जानकारी दी गयी थी। वह हमराह स्टाफ और रहागीर साक्षी एक साथ मौके पर पहुंचे थे। मौका स्थल बस स्टेंड होने से मौके पर बहुत भीड़भाड़ रहती है। जब अभियुक्त मौके पर मिला तब आसपास बहुत भीड़ थी। जप्तशुदा छुरी का नाप किस चीज से किया गया इस बात का उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया गया है और न ही जप्ती पत्रक में नमूना सील लगायी गयी है। संतोष (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना सुबह की है या शाम की है उसे मालूम नहीं है। घटना के समय वह प्रधान आरक्षक शोभाराम और एक अन्य व्यक्ति मौके पर गये थे। मौके पर किस साधन से गये थे आज वह नहीं बता सकता है।
- 11 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) में जप्ती का समय प्रातः 10 बजे लेख है एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में गिरफ्तारी का समय 10:05 बजे लेख है। मात्र पांच मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना अत्यन्त अस्वाभाविक है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से जप्तशुदा आयुध लोहे की छुरी जप्त किये जाने के उपरांत उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो, न ही जप्ती पत्रक में नमूना सील अंकित है। जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध कमांक लेख है जिससे उक्त प्रपत्र जप्ती एवं

गिरफ्तारी कार्यवाही उपरांत तैयार किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जप्तशुदा आयुध की नापजोप किससे की गयी इसका उल्लेख भी जप्ती पत्रक में नहीं है और न ही इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

- 12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.03.2014 को समय 10:00 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार आरीनुमा छुरी जिसकी कुल लंबाई 16½, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त गोविंदा को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार आरीनुमा छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)